

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2020-कार्तिक 29, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राधेश्याम मौर्य पिता श्री मंगल सिंह मौर्य, निवासी 8/1/4, कृष्णा कॉलोनी, त्रिमूर्ति नगर, जबलपुर (म. प्र.) में रहता हूँ. शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम राधेश्याम मौर्य मेहरा त्रुटिवश दर्ज हो गया है. मेरा सही नाम राधेश्याम मौर्य है और इसी नाम से मुझे जाना-पहचाना जाता है इसलिए मेरा नाम राधेश्याम मौर्य मेहरा के स्थान पर राधेश्याम मौर्य पढ़ा-लिखा व जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(राधेश्याम मौर्य मेहरा)

(RADHESHYAM MOURYA MEHRA)

(401-बी.)

नया नाम :

(राधेश्याम मौर्य)

(RADHESHYAM MOURYA)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी के पूर्व मेरा नाम कु. बरखा गुलुमल सुलत्यानी था. अब शादी के बाद मैंने अपना नाम बदलकर श्रीमती ध्वनि नाशा रख लिया है. अब भविष्य में मुझे मेरे नए नाम श्रीमती ध्वनि नाशा पति तुषार नाशा के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(बरखा गुलुमल सुलत्यानी)

पिता-श्री गुलुमल सुलत्यानी.

(403-बी.)

नया नाम :

(ध्वनि नाशा)

पति-श्री तुषार नाशा,

उप-नाम परिवर्तन

जयें सार्वजनिक इशतिहार प्रकाशन किया जाता है कि विवाह पूर्व में मेरा उपनाम निधि शुक्ला पुत्री पुरुषोत्तम शुक्ला था. यह कि मेरा विवाह श्री देवेन्द्र कुमार पाराशर पुत्र श्री दिनेश कुमार पाराशर, निवासी 79, गाँधी कॉलोनी, जिला मुरैना के साथ होने से सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र जारी किया गया है. यह कि विवाह उपरांत मेरा सरनेम/उपनाम अब परिवर्तित होकर निधि शुक्ला के स्थान

पर निधि पाराशर पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार पाराशर Nidhi Parashar W/o Devendra Kumar Parashar हो गया है. अतः मेरे साथ किया जाने वाला समस्त संव्यवहार निधि पाराशर पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार पाराशर के नाम से किया जावेगा तथा मेरे सर्विस रिकॉर्ड, निजी अभिलेखों, समस्त शासकीय व निजी कार्यालयों आदि के अभिलेखों में मुझे निधि पाराशर पत्नी देवेन्द्र कुमार पाराशर के नाम से जाना जावेगा.

पुराना नाम :

(निधि शुक्ला)

(404-बी.)

नया नाम :

(निधि पाराशर)

निवासी भवन/प्लॉट क्र. ओ-12/268,

आनंद नगर, ग्वालियर

हाल निवासी-79, गाँधी कॉलोनी, मुरैना (म. प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, यह सत्यापित करती हूँ कि मेरा नाम पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में दर्ज सोना देवी पति कन्हैयालाल शर्मा (स्वर्गीय), निवासी-बी-326, शालीमार बंगलोपार्क, सुखिलया, इंदौर, म. प्र. है एवं मेरा घरेलू नाम सोनंदी पति कन्हैयालाल शर्मा मेरे पति के सर्विस दस्तावेजों (सर्विस नं. 1160655F) में दर्ज हुआ है. उक्त दोनों नाम एक ही महिला (ग्रहणी) अर्थात मेरे हैं. यह कथन पूर्णतः सत्य है. कथन असत्य प्रमाणित होने पर समस्त जवाबदारी मेरी रहेगी;

पुराना नाम :

(सोनंदी)

(408-बी.)

नया नाम :

(सोना देवी)

पति कन्हैयालाल शर्मा (स्वर्गीय)

CHANGE OF NAME

I, Soni Chandwani D/o Raghomal Chandwani here by declare that after marriage I have changed my name as Kanchan Arija W/o Anil Arija. So from now and in future I will be known by my new name Kanchan Arija W/o Anil Arija.

Old Name :

(Soni Chandwani)

(405-B.)

New Name :

(Kanchan Arija)

Add- 458, Sadhu Vaswani Nagar,
Scheme No-31, Garden Ke Samne,
Indore (M.P.).

CHANGE OF SUR-NAME

I, Kiran Jain have changed my name to Kiran Badjatya W/o Pradeep Badjatya and now I would be known as Kiran Badjatya W/o Pradeep Badjatya

Old Name :

(Kiran Jain)

(406-B.)

New Name :

(Kiran Badjatya)

14, Kunjban Colony, Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, आर. एल. छलोत्रे आ. श्री रणछोड़ दास छलोत्रे, निवासी म. नं. 157, रचना नगर, गोविन्दपुरा, भोपाल (म. प्र.), स्थाई पता-ग्राम डगांवाशंकर, पोस्ट-गहाल, तहसील हरदा, जिला हरदा (म. प्र.). मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम राधेलाल छलोत्रे आ. श्री रणछोड़ दास छलोत्रे, राधेलाल छलोत्रे आ. श्री रणछोड़ छलोत्रे, राधेलाल छलोत्रे आ. श्री आर. डी. छलोत्रे, आर. एल. छलोत्रे आ. श्री आर. डी. छलोत्रे एवं राधेलाल आ. श्री रणछोड़ अंकित है, अतः उक्त नाम मेरे हैं और मुझे उक्त नामों से जाना-पहचाना जाता है, अतः भविष्य में मुझे आर. एल. छलोत्रे आ. श्री रणछोड़दास छलोत्रे, पता-म. नं. 157, रचना नगर, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश, स्थाई पता-ग्राम डगांवाशंकर, पोस्ट-गहाल, तहसील हरदा, जिला हरदा (म. प्र.) से जाना, पहचाना, पढ़ा-लिखा जावे.

पुराना नाम :

(राधेलाल छलोत्रे)

(407-बी.)

नया नाम :

(आर. एल. छलोत्रे)

निवासी-म. नं. 157, रचना नगर,

गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,

स्थायी पता-ग्राम डगांवाशंकर, पोस्ट-गहाल,

तहसील हरदा, जिला हरदा (म. प्र.).

CHANGE OF SUR-NAME

I, Aleemuddin Azad S/o Nizamuddin R/o. 4, Ward 24, Near Old Ubeja Nursing Home, Kundleshwar ward, Khandwa, Distt. Khandwa, M. P. declare that previously I was known as Aleemiddin S/o Nizamuddin. Now I have changed my name as Aleemuddin Azad S/o Nizamuddin. Kindly read my name Aleemuddin Azad S/o Nizamuddin instead of Aleemuddin S/o Nizamuddin in my all documents.

Old Name :

(Aleemuddin)

(346-B.)

New Name :

(Aleemuddin Azad)

CHANGE OF NAME

I, Soumya Mishra D/o Suneel Kumar R/o. Ambedkar Ward 9, Jaswadi Road, Mata Chouk, Sai Nagar, Khandwa, Distt. Khandwa, M.P. declare that previously I was known as Pinki Devi D/o Suneel Kumar. Now I have changed my name as Soumya Mishra D/o Suneel Kumar. Kindly read my name Soumya Mishra D/o Suneel Kumar instead of Pinki Devi D/o Suneel Kumar in my all documents.

Old Name :

(Pinki Devi)

(347-B.)

New Name :

(Soumya Mishra)

नाम परिवर्तन

मैं, रजनी यादव (Rajni Yadav) पुत्री श्री दिलीप यादव सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम (Reena) है जो मेरी UTI Mutual Fund के शेयरों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम लिखा गया है जबकि मैं, वर्तमान में रजनी यादव (Rajni Yadav) पुत्री श्री दिलीप यादव के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं, इसी नाम रजनी यादव (Rajni Yadav) पुत्री श्री दिलीप यादव के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊँगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. अतः मेरी UTI Mutual Fund के शेयरों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रीना (Reena) के स्थान पर रजनी यादव (Rajni Yadav) लिखा जाये एवं पढ़ा जाये, आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(रीना)

(409-बी.)

नया नाम :

(रजनी यादव)

पुत्री श्री दिलीप यादव,
निवासी-वार्ड नं. 05, मई वाला कुंआ,
जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राहुल अग्रवाल (Rahul Agarwal) पुत्र श्री शरद अग्रवाल (Sharad Agarwal) माता श्रीमती मधुलिका अग्रवाल (Madhulika Agarwal), उम्र 22 वर्ष, निवासी-70, शंकर गार्डन, अयोध्या बायपास रोड, क्वीन मेरी स्कूल विद्यालय, पिपलानी, भोपाल, म. प्र. सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम राहुल अग्रवाल (Rahul Aggarwal) एवं मेरे पिता जी का नाम शरद अग्रवाल (Sharad Aggarwal) तथा मेरी माताजी का नाम मधुलिका अग्रवाल (Madhulika Aggarwal) जो कि त्रुटिपूर्वक कक्षा 10वीं, 12वीं (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली) अंकसूची में अंकित हो गया है जो कि पूर्णतः गलत है. अतः मेरी कक्षा 10वीं, 12वीं (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली) की अंकसूची में मेरा नाम राहुल अग्रवाल (Rahul Agarwal) तथा मेरे पिता का नाम श्री शरद अग्रवाल (Sharad Agarwal) माता श्रीमती मधुलिका अग्रवाल (Madhulika Agarwal) ही लिखा जावे और भविष्य में मुझे इसी नाम से सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में इसी नाम से जाना, पहचाना जावे जो कि पूर्ण रूप से सही एवं सत्य है.

पुराना नाम :

(राहुल अग्रवाल)

(Rahul Aggarwal)

(402-बी.)

नया नाम :

(राहुल अग्रवाल)

(Rahul Agarwal),

निवासी- 70, शंकर गार्डन, अयोध्या बायपास रोड,
क्वीन मेरी स्कूल विद्यालय, पिपलानी, भोपाल (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Amarjeet Kaur W/o Dr 10304L Lt Col Virender Singh Kohli R/o HIG 13, JDA Colony Katanga, Jabalpur do hereby solemnly affirm and declare that my name has been mistakenly recorded as Amarjeet kaur in the Service records of my husband which is incorrect.

The Correct name is Amarjeet Kohli as per the Adhar Card and other documents and the same shall be considered in future in all the records. Affidavit no AZ 742893 Dated 11 August , 2020 before Notary Jabalpur (M.P.)

Old Name :

(AMARJEET KAUR)

(382-B.)

New Name :

(AMARJEET KOHLI)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मनीष पिता तुलसीराम पुरोहित था, अब मनीष गंगा पिता तुलसीराम हो गया है. अतः वर्तमान में अब मुझे इसी नाम से पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(मनीष पुरोहित)

(365-बी.)

नया नाम :

(मनीष गंगा)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. साँखला ब्रदर्स, पता ए. बी. रोड, बडौदी (शिवपुरी) है, जिसका पंजीयन क्रमांक ARG/FIRM/40 DATED 06-10-2000 है.

में. उक्त फर्म से श्री नरेन्द्र कुमार साँखला पुत्र स्व. श्री इन्दरमल साँखला जी अपनी स्वेच्छा से पार्टनरशिप से दिनांक 01-11-2020 से पृथक हो रहे हैं एवं दिनांक 01-11-2020 से श्रीमती निधि जैन पत्नि श्री आशीष साँखला, निवासी छत्री रोड, शिवपुरी (म. प्र.) उनके स्थान पर नवीन पार्टनर (साझेदार) को शामिल किया गया है.

आमजन एवं सर्वजन को सूचित किया जाता है.

मै. साँखला ब्रदर्स,

आशीष साँखला,

(पार्टनर).

(412-बी.)

पता-ए. बी. रोड, बडौदी शिवपुरी (म. प्र.).

जाहिर सूचना

यह सर्व विदित को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कृष्णा कंस्ट्रक्शन्स कंपनी, खंडवा, जिनका मुख्य व्यवसाय स्थान-81 रामनगर, एल.आई.जी. कॉलोनी, जसवाड़ी रोड, खंडवा, मध्यप्रदेश है, दिनांक 24-08-2020 के संशोधन द्वारा श्रीमती प्रज्ञा तिवारी को पार्टनर के स्थान पर सम्मिलित किया गया है एवं श्रीमान सुनील तिवारी को उनके इच्छानुसार पार्टनर के स्थान से इस्तीफा दिया गया है. अतः उक्त दिनांक को जानेवाले पार्टनर का इस फर्म एवं इसके पार्टनर्स से किसी प्रकार का कोई लेन-देन शेष नहीं रह गया है.

मेसर्स-कृष्णा कंस्ट्रक्शन्स कंपनी, खंडवा,

विकास तिवारी,

प्रज्ञा तिवारी,

(पार्टनर)

(416-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म M/s. Jain Store Crusher, जिसका Reg.No. 126 dt. 15-03-2001 है जिसका पंजीकृत पता बानापुर तह. सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद म.प्र. है जिसमें दिनांक 01-04-2019 को भागीदार राशि जैन पिता राजेन्द्र कुमार जैन को बालिक होने पर फर्म में फुल फ्लेड भागीदार के रूप में शामिल किया गया एवं दिनांक 01-04-2019 को शिखा जैन पत्नि रौनक जैन को नये भागीदार के रूप में शामिल किया गया. दिनांक 01-04-2019 को कु. महक जैन पिता रितेश जैन, आरुष जैन पिता रौनक जैन को नये माईनर भागीदारों के रूप में शामिल किया गया एवं सभी भागीदारों की आपसी सहमति से दिनांक 01-04-2019 को फर्म

का पता- बानापुरा तह. सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद म.प्र. से परिवर्तित कर नया पता ग्राम भिलटदेव तह. सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद म.प्र. कर लिया गया है आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

M/s. Jain Stone Crusher,
श्री रितेश कुमार जैन,
(भागीदार).

(353-बी.)

बानापुर तह. सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स महावीर ग्रुप जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 06/09/01/0152/18 दिनांक 20-02-2018 जो म.नं. 02, बियर हाउस के पास गोपालगंज, सागर जिला सागर में स्थित है जिसमें दिनांक 20-10-2020 को भागीदार श्री आदेश दीक्षित पिता श्री मनमोहन दीक्षित निवासी- काली तिगड्डी शनीचरी वार्ड, सागर म.प्र. अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये है आमजन एवं सर्वजन सूचित हों

मैसर्स-महावीर ग्रुप,

मनोज दुबे,
(भागीदार)

(410-बी.)

म.नं. 02, बियर हाउस के पास गोपालगंज सागर, जिला सागर.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मे. गोल्डन स्टोन्स, स्थित जवाहर रोड, नौगाँव, जिला छतरपुर (म.प्र.) है. जिसका पंजीयन क्रमांक 06/12/03/00127/10, दिनांक 20-12-2010 है. दिनांक 01-04-2020 से फर्म के पते में परिवर्तन किया जा रहा है एवं फर्म का नया पता- मकान क्रं. 02, वार्ड नं. 03, आदिनाथ मोटर्स, महोबा रोड, छतरपुर (म.प्र.) होगा. दिनांक 01-04-2020 से ही भागीदार 1. श्री सुनील कुमार जैन, 2. श्री विनायक श्रीवास्तव, 3. सुधीर खरे फर्म से स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं एवं 01-04-2020 से नए भागीदार के रूप में श्रीमती भावना खरे को सम्मिलित किया जा रहा है. अतः यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो अपना दावा कृपया 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें. इस अंतराल के बाद कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

मैसर्स गोल्डन स्टोन्स,

प्रदीप खरे,
(पार्टनर)

(411-बी.)

नया पता- मकान क्रं. 02 वार्ड नं. 03, आदिनाथ मोटर्स,
महोबा रोड, छतरपुर (म.प्र.).

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms "M/S UNEMPLOYED ENGINEERS GROUP" of Bhopal Vide Registration No. 01/01/01/0004/16, 2015-16 Dated 02-04-2016 undergone the following changes:-

That the Smt. Mona Jain W/o Shri Chaitanya Jain Shall be admitted as partner in the firm and Shri Chaitanya Jain S/o Vipin Kumar Jain Shall voluntary retire from the partnership firm w.e.f. 01-04-2020.

M/S UNEMPLOYED ENGINEERS GROUP,

Vipin Kumar Jain,

(413-B.)

(Partner).

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms "KUSUM INDUSTRIES " of Bhopal Vide Registration No. 01/01/01/00077/10, 2010-11 Dated 14-05-2010 undergone the following changes:-

That the Partnership business styled as "KUSUM INDUSTRIES " is dissolved as on 31-03-2017 and the land, building and plant & machinery of the firm will be distributed between the partners equally, and it has been agreed by the parties to the said deed that all the assets & liabilities of the firm except land, building and plant & machinery as on 31-03-2017 taken over by Mr. Chaitanya Jain and he is to authorized to use the firm

name and to carry on the business as a sole proprietor is to authorized to use the firm name and to carry on the business as a sole proprietor of the said business w.e.f. 31-03-2017, if any amount due to or due from outgoing partner will be paid or received by the Chaitanya Jain. as per convenience of both the parties.

M/S KUSUM INDUSTRIES ,
Chaitanya Jain,
(Partner).

(414-B.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms ""M/S SAI HOSPITAL"" of Bhopal Vide Registration No. 01/01/01/00078/14, 2014-15 Dated 20-05-2014 undergone the following changes:-

That Dr. Pradeep Sharma S/o Shri Rambabu Sharma has desire to join the firm and remaining partners are agree with them and Smt. Dropati Sable W/o Shri. Yashwant Rao Sable has desire to retire from the partnership firm w.e.f. 01-04-2020.

M/S SAI HOSPITAL,
Rajesh Katiyar,
(Partner).

(415-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स कश्यप एण्ड कंपनी एच.पी.सी. डीलर पता 204, जवाहर मार्ग, राजमोहल्ला चौराहा, इन्दौर (म.प्र.) पार्टनरशिप फर्म होकर इसके पार्टनर श्री पीयूषकुमार शाह एवं राजेंद्र कुमार शाह हैं. उक्त फर्म के पार्टनर श्री राजेन्द्रकुमार शाह का निधन दिनांक 07-06-2019 को शहर इंदौर में हो गया है. उक्त भागीदारी फर्म में नवीन राजेन्द्र कुमार शाह के पुत्र श्री मेघशाह को भागीदार बनाना प्रस्तावित किया गया है. जिसके संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, निकाय आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति, उजर आदि हो तो इस जाहिर सूचना प्रकाशन से 7 दिवस की समयवाधि में लिखित में मय दस्तावेजों के संपर्क करें. अन्यथा बाद मियाद अवधि उक्त प्रस्तावित श्री मेघशाह को मेसर्स कश्यप एंड कंपनी एच.पी.सी. डीलर का भागीदार बना दिया जावेगा. तत्पश्चात कोई आपत्ति या उजर मान्य नहीं होगा. सो सूचित होवे.

For- KASYAP & CO.,
PIYUSH KUMAR SHAH,
MEGH SHAH,
(Partner).

(418-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स मध्यभारत सिरेमिक्स फर्म जिसका पता-05, तपस्या भवन नयापुरा रोड़, मंदसौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 264/52-53/125/2010, दिनांक 27-10-2010 के द्वारा पंजीकृत भागीदारी फर्म है जिसके भागीदारी 1. श्री विनोद कुमार पिता राजमल जैन, 2. श्री सुशील कुमार पिता राजमल जैन, 3. श्रीमति किरण देवी पिता विनोद कुमार जैन, 4. श्री सरोज पिता श्री सुशील कुमार जैन थे. दिनांक 14-10-2020 को भागीदार श्री विनोद कुमार पिता राजमल जैन का स्वर्गवास होने से भागीदारी से प्रथक हो गये हैं तथा सिद्धार्थ पिता श्री सुशील कुमार जैन उक्त दिनांक 14-10-2020 से भागीदारी में शामिल होने से भागीदार हो गये हैं. इस प्रकार दिनांक 14-10-2020 से भागीदारी फर्म मेसर्स मध्यभारत सिरेमिक्स मंदसौर में 1. श्री सुशील कुमार पिता राजमल जैन, 2. श्रीमति किरणदेवी पति विनोद कुमार जैन, 3. श्री सरोज पिता श्री सुशील कुमार जैन, 4. सिद्धार्थ पिता श्री सुशील कुमार जैन भागीदार हैं एवं दिनांक 14-10-2020 से उक्त फर्म का पंजीकृत पता पशुपतिनाथ रोड़, चन्द्रपुरा मंदसौर हो गया है. यह विदित हो.

मेसर्स-मध्यभारत सिरेमिक्स,
सुशील कुमार जैन,
(भागीदार)

(419-बी.)

पशुपतिनाथ रोड़, चन्द्रपुरा मंदसौर.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म मेसर्स जैन वेयर हाउसिंग फर्म जिसका पता-05, नयापुरा रोड़, मंदसौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 425/1994-95/मंदसौर/125/2011, दिनांक 03-11-2011 के द्वारा पंजीकृत भागीदारी फर्म है जिसके भागीदारी 1. श्री विनोद कुमार पिता राजमल जैन, 2. श्री सुशील कुमार पिता राजमल जैन, 3. श्रीमति किरण पति विनोद कुमार जैन, 4. श्री सरोज पिता श्री सुशील कुमार जैन थे. दिनांक 14-10-2020 को भागीदार श्री विनोद कुमार पिता राजमल जैन का स्वर्गवास होने से भागीदारी से प्रथक हो गये हैं तथा सिद्धार्थ पिता श्री सुशील कुमार जैन उक्त दिनांक 14-10-2020 से भागीदारी में शामिल होने से भागीदार हो गये हैं. इस प्रकार दिनांक 14-10-2020 से भागीदारी फर्म मेसर्स जैन वेयर हाउसिंग मंदसौर में 1. श्री सुशील कुमार पिता राजमल जैन, 2. श्रीमति किरणदेवी पति विनोद कुमार जैन, 3. श्री सरोज पिता श्री सुशील कुमार जैन, 4. सिद्धार्थ पिता श्री सुशील कुमार जैन भागीदार हैं एवं दिनांक 14-10-2020 से उक्त फर्म का पंजीकृत पता अरनिया भटटी, सौधनी चौराहा, मंदसौर हो गया है. यह विदित हो.

For- Jain Ware Housing

सुशील कुमार जैन,
(पार्टनर)

(420-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), महिदपुर, जिला उज्जैन

महिदपुर, दिनांक 02 नवम्बर, 2020

प्ररूप- पाँच

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का तीसवा) की धारा-2 तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5(1) देखिए]
प्र.क्र.-02/बी-113/20-21/184.

लोक न्यासों के पंजीयक तहसीलदार महिदपुर, जिला उज्जैन के समक्ष.

क्योंकि मुझे प्रतित होता होता है कि अनुसूचित में विनिर्दिष्ट संपत्ति म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (1951 का तीसवा) की धारा-2 की उपधारा-4 के अभिप्राय के लिये लोक न्यास है, और उसका गठन करती है.

अतः मैं, कैलाशचंद्र ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महिदपुर, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 को उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा-(1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास तथा संपत्ति का न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और मेरे न्यायालय में समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

न्यास का नाम और पता	:	गायत्री परिवार ट्रस्ट महिदपुर सिटी, जिला उज्जैन म.प्र. बिनपुरा रोड, पंचायत भवन, भीमाखेडा के पास, महिदपुर सिटी जिला उज्जैन.
जंगम संपत्ति	:	500/- अक्षरी पाँच सौ रुपये नगद.
स्थावर संपत्ति	:	ग्राम भीमाखेडा स्थित भूमि सर्वे नंबर 221/1 रकबा 0.040, 226/2 रकबा 0.126, सर्वे नंबर 228/1 एवं 230/2 रकबा 0.253 कुल कित्ता 04 कुल रकबा 0.419.

कैलाशचंद्र ठाकुर,
पंजीयक.

(1210)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग देवास

देवास, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

क्र.337/रीडर/2020.—अध्यक्ष सुश्री रूखमणी परमार पिता मांगीलाल परमार, निवासी सहयोग कालोनी, देवास द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर “श्री हरिकृष्ण मानव गौ सेवा संस्थान, (भिमसी) नागूखेड़ी, उज्जैन रोड, देवास”, के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा पत्र उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है। ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क रुपये 5/- के चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है।

अतः “श्री हरिकृष्ण मानव गौ सेवा संस्थान, (भिमसी) नागूखेड़ी, उज्जैन रोड, देवास” के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति पेशी दिनांक 07-12-2020 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(1211)

देवास, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

क्र.339/रीडर/2020.—अध्यक्ष श्री दिलिप अग्रवाल पिता श्रवणलाल अग्रवाल निवासी श्री गोविंद गौ रक्षा धाम, शांति बाल निकेतन के पास, मेढकी रोड, देवास की ओर से श्री दिनेशकुमार द्वारा इस न्यायालय में उपस्थित होकर “श्री गोविंद गौ रक्षा धाम”, शांति बाल निकेतन के पास, मेढकी रोड, देवास के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा पत्र उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है। ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क रुपये 5/- के चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है।

अतः “श्री गोविंद गौ रक्षा धाम”, शांति बाल निकेतन के पास, मेढकी रोड, देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति पेशी दिनांक 07-12-2020 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

आज दिनांक 15 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(1212)

प्रदीप कुमार सोनी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार

अन्य सूचनाएं**कार्यालय परिसमापक, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद**

होशंगाबाद, दिनांक 05 नवम्बर, 2020

क्र./परि./2020/क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद के संशोधित आदेश क्रमांक/परि./2020/732 दिनांक 22 जून, 2020 के द्वारा निम्नलिखित सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या, धरमकुण्डी	2848	28-05-2005
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या, हिरणखेडा	2849	28-05-2005
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या, रतवाडा	2851	28-05-2005

अतः मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम 1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहकाराण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जायेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1213)

जी.पी. दीवान,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2038.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/1439, दिनांक 2 जुलाई, 2013 के द्वारा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., पथरहटा जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1575 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री सुनीत नेमा, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., पथरहटा जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1575 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1214)

जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2039—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/3483, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के द्वारा अजा.अजजा खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., भाटादौन सिहोरा जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1743 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री सुनीत नेमा, उप-अंकेक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजा.अजजा खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., भाटादौन सिहोरा जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1743 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1215)

जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2040—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/29, दिनांक 4 जनवरी, 2016 के द्वारा बलदेव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमरपुर वि.खण्ड पाटन जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1925 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी.एम. सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बलदेव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमरपुर वि.खण्ड पाटन जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1925 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1216)

जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2041—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/30, दिनांक 4 जनवरी, 2016 के द्वारा महाकोशल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रौंसरा वि.खण्ड पाटन जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1876 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी.एम. सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाकोशल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रौंसरा वि.खण्ड पाटन जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1876 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1217)

जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2042—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2484, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 के द्वारा जय किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उड़ना वि.खण्ड पाटन जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1891 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी.एम. सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उड़ना वि.खण्ड पाटन जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1891 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1218)

शिवम् मिश्रा,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भापाल, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2020-कार्तिक 29, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर, 2020

1. मौसम एवं वर्षा:—प्रायः राज्य में मौसम मेघाच्छादित रहा. राज्य के कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में वर्षा मिली मीटर में प्रतिवेदित की गई है.
2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है.
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है.
4. धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-रोपाई समाप्त हो चुकी है.
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
7. अन्य असामयक घटना से छति :-कोई छति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल बिगड़ी हुई प्रतिवेदित किया गया है.
9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है.
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10	
25.	उज्जैन :	खाचरौद महिदपुर तराना घटिया उज्जैन बड़नगर नागदा	जुताई चालू बोनी चालू	सोयाबीन	अधिक 60%	सुधरी हुई	5. . .	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
26.	आगर :	बड़ौद सुसनेर नलखेड़ा आगर 8.4 .. 2.0	5. . .	6.(अ). .	6.(ब). .	7. . .	8. . .	
27.	शाजापुर:	मोमन (बड़े) शाजापुर शुजालपुर कालापीपल पोलायकलां अबंतीपुर- बडौदिया गुलाना 5.0	कम जुताई चालू बोनी चालू	तुअर	सामान्य	5. पर्याप्त.	6.(अ)अपर्याप्त	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
28.	देवास :	सोनकच्छ टोंकखुर्द देवास बागली कन्नोद हाटपिपल्या सतवास उदयनगर खातेगांव	पर्याप्त	कपास	कम 55%	बिगड़ी	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
37.	राजगढ़ :	राजगढ़ जीरापुर खिलचीपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़	.. पर्याप्त 1.0 2.0	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
38.	विदिशा :	लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्यौंदा पठारी ग्यारसपुर	.. पर्याप्त	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
39.	भोपाल :	बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़	.. पर्याप्त 0.02	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.	
40.	सीहोर :	सीहोर आष्टा इछाबर नसरुल्लागंज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी	.. पर्याप्त	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10			
52.	बालाघाट :		53.5	पर्याप्त	धान	अप्राप्त	..	सामान्य	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		95.6
	लाँजी		80.0
	किरनापुर		25.0
	बैहर		23.5
	वारासिवनी		6.9
	कटंगी		11.0
	लालबर्वा		8.8
	तिरोडी		46.5
	परसवाड़ा		54.6
	बिरसा		10.4
	खैरलाँजी	

(1209)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.